क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		सिद्ध नहीं है। दूसरा, वादी का वाद सि.प्र.स. की धारा 80 के प्रावधानों से बाधित है। प्रार्थी ने जवाबी बहस में कथन किया है कि - वादी ने वाद के पैरा संख्या (5) मे वादकारण को बखूबी कथन किया है। दूसरा, सि.प्र.सं. की धारा 80 के प्रावधान हस्तगत वाद पर लागू नहीं होते है। उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादी ने यह वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ति व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर विवादित भूमि खसरा नं. ~~482~~ 482 व 484 में रिकार्ड मे दुरूस्ति चाही है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

फर्द अहकाम

उपखण्ड कार्यालय चाकसू, जयपुर ग्रामीण

ग्राम पंचायत बनाम सरकार

संख्या /वर्ष : 07 /2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	वादी वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार काश्तकार है ना ही भूमिधारक है। अतः अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त अधिनियम वादी को यह वाद प्रस्तुत करने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। दूसरा वादी ने यह वाद प्रतिवादी संख्या (1) के विरूद्ध पेश किया है एवं मुख्य अनुतोष प्रति (1) से चाहा है अतः वाद धारा 80 सि.प्र.स. के प्रावधानों से भी बाधित सिद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादकारण के अभाव एवं विधि द्वारा वर्जित होने से वाद खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	